प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान हेतु आयोजनागत पक्ष के मानक मद "26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/निदेशक/बजट/2014-15/299 दिनांक 21 मई, 2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2416/71-2-15-पी-20/2015 दिनांक 10 जुलाई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान हेतु आयोजनागत पक्ष के मानक मद "26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,00,000/- (रूपया पचास करोड मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।
3) उपकरणों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा पूर्ण कर ली जाये।
4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, उपकरणों का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले शासनादेशों एवं प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।
5) क्रय किये जाने वाले उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति किये गये उपकरण उत्तम गुणवत्ता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) के हैं तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन्स की पूर्ति हो रही है तथा जॉच में भी उपकरण उपयुक्त पाये गये हैं। इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।
6) संस्थान द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7) संस्था के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
8) उपकरणों की सूची में से यदि किसी उपकरण के क्रय में बचत होती है तथा अन्य उपकरण के क्रय में अधिक व्यय होता है, तो उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि का समायोजन निदेशक/वित्त नियंत्रक के अनुमोदन से कर लेगें। परन्तु यदि सूची में उल्लिखित समस्त उपकरणों के क्रय के पश्चात कोई बचत होती है, तो उक्त बचत से अन्य उपकरणों का क्रय शासन की अनुमति के पश्चात ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में बचत की धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु अलग से कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। उपकरणों की विशिष्टिता, मानक एवं गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

10) किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

11) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-84/2015/3176(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
8) गार्ड फाइल/निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री भट्टाचार्य) को उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।